18.9.25 पत्रावली पेश हुई। ताबील अधिवक्ता

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– अक्षत कुमार सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 270 / 2025 | दायर दिनांक 05.06.2025 | निर्णय दिनांक 08.09.2025

उनवान

1. श्री रमेशचन्द्र जोशी पिता जमनालाल जोशी, निवासी आटुण, तहसील व जिला भीलवाडा हाल निवासी पंजाब गली, भोपालगंज, भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

— विपक्षी

उपस्थितः—

1. **अधिवक्ता प्रार्थी की और से श्री कैलाश राव उपस्थित।**
2. **विपक्षी संख्या 01 की और से पैराकार सरकार।**

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :—

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की एक कृषि आराजी राजस्व ग्राम गठीलाखेडा पटवार हल्का गठीलाखेडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आटूण तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा राज० में स्थित है। जिसके खाता संख्या नये 365 पुराने 316 स्थित है। खसरा संख्या 1016 / 1 रकबा 0.1517 है० किस्म गे०मु० रास्ता, 1068 रकबा 0.1138 है० किस्म नहरी प्रथम और 953 / 1 रकबा 0.0379 है० किस्म बंजड कुल कित्ता 03 कुल बै० 0.3034 है० भूमि स्थित है। उक्त भूमि आराजी प्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व में है और उक्त भूमि आराजी का प्रार्थी निंवाद रूप से भोग–उपभोग करता आ रहा है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के समीप स्थित है और प्रार्थी की आराजी संख्या 953 / 1 में 15 फिट का रास्ता कायम है और आने–जाने वाले लोग उस रास्ते का वर्तमान में उपयोग उपभोग कर रहे है और उक्त आराजी प्रार्थी की नीलामी प्रक्रिया द्वारा खरीद्सुदा आराजी है और जो रास्ता 953 / 1 में स्थित है उस रास्ते का राजस्व रिकोर्ड में अंकन नही है। हाल ही में कुछ समय पूर्व राजस्व ऐजेन्सी द्वारा जरिये सेन्टेलाईन की प्रक्रिया की गई थी। उस दौरान सहवन से जो रास्ता प्रार्थी की आराजी 953 / 1 में बना हुआ है और लोग आ जा रहे है। उस रास्ते को राजस्व ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थी की आराजी 1016 / 1 में दर्ज कर लिया है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है। 1016 / 1 में ना तो रास्ता कायम है और ना ही वहां से आम व्यक्ति आते जाते है और ना ही उक्त भूमि में रास्ता होकर निकलता है। वास्तविक रूप से रास्ता आराजी संख्या 953 / 1 में भौतिक रूप से स्थित होकर विद्यमान है। जिसको राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है और न ही आम व्यक्तियो को कोई आपत्ति उत्पन्न है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इसलिये प्रार्थी की आराजी में जो खसरा संख्या 1016/1 में गे०मु० रास्ता दर्ज है। राजस्व अंकन को प्रार्थी की आराजी के खसरा 953/1 में गे०मु० रास्ता का अंकन किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की खसरे की जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत होकर प्रार्थनापत्र का भाग है एवं पूर्व में प्रार्थी ने राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर जो शिकायत दर्ज करवाई थी जिसके नम्बर 0716078836082 दिनांक 15-07-2016 की पत्रादी भी उक्त प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत होकर प्रार्थनापत्र का भाग है। उक्त आराजी पर कोई वाद-विवाद न होकर, किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नही है, पाक साफ होकर प्रार्थी के आधिपत्य एवं स्वामित्व में है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की कृषि आराजी के खसरा संख्या 1016/1 में जो गे०मु० रास्ता दर्ज है उसका राजस्व अंकन खसरा संख्या 953/1 में दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.06.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण में विपक्षी संख्या 01 तहसीलदार भीलवाडा का जवाब पत्रांक 3027 दिनांक 01.09.2025 से प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार ग्राम गठीलाखेडा के आराजी नम्बर 1016/1 में किस्म गे0मु0 रास्ता को हटाकर आराजी नम्बर 953/1 में दर्ज करवाना चाहता है, किन्तु आराजी नम्बर 1016/1 की किस्म रास्ता से हटाने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है एवं आराजी नम्बर 1016 वक्त सेटलमेंट से ही किस्म गेमु रास्ता है। अतः वाद पोषणीय नहीं है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थी अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया ग्राम गठीलाखेडा के आराजी नम्बर 1016/1 में किस्म गे0मु0 रास्ता को हटाकर आराजी नम्बर 953/1 में दर्ज करवाना चाहता है, किन्तु आराजी नम्बर 1016/1 की किस्म रास्ता से हटाने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है एवं आराजी नम्बर 1016 वक्त सेटलमेंट से ही किस्म गेमु रास्ता है अतः वाद पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव्

-:आदेश :-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम गठीलाखेडा के आराजी नम्बर 1016/1 में किस्म गे0मु0 रास्ता को हटाकर आराजी नम्बर 953/1 में दर्ज करवाना चाहता है, किन्तु आराजी नम्बर 1016/1 की किस्म रास्ता से हटाने बाबत् कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है एवं आराजी नम्बर 1016 वक्त सेटलमेंट से ही किस्म गेमु रास्ता है। अतः वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08..09..2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

([illegible] कुमार सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा